

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

ललित कुमार आत्मज राजेन्द्र कुमार
आयु 20 वर्ष जाति काछी निवासी बूंदी
वालों का मकान बोरखेडा कोटा
तहसील लाडपुरा जिला कोटा
-वादी

बनाम

1.मथुरा लाल आत्मज कजोड जाति काछी
2.राजेन्द्र आत्मज मथुरा लाल जाति काछी
3.धर्मेन्द्र आत्मज मथुरा लाल जाति काछी
निवासीगण कुशवाह पान पैलेस बडी नहर के पास
बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा
जिला कोटा

-प्रतिवादी

-:: वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:-

मुकद्मा नं. 141/2014 (दावा)

इस वाद में आज तारीख को वादीगण के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । वाद के खर्चे लेखे ... X ...रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित Xद्वारा Xको दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 2.7. माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी
कोटा